रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-330(

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 699] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अग्रहायण 21, 1919

No. 699] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 28/97-02

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. आ. 866 (अ):—निर्यात एवं आयात नीति, 1997-2002, के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित समय-समय पर यथा-संशोधित आई टी सी (एच एस) क्लासीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम्स 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. अध्याय 15 के अन्त में निम्नलिखित आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी जोड़ी जाएगी:—

"(4) सभी खाद्य तेल जो आजकल विभिन्न एग्जिम कोड शीर्षों के अधीन मुक्त रूप से आयात करने योग्य हैं, उनका मुक्त रूप से इस शर्त के अधीन आयात किया जा सकता है कि आयातक सीमा शुल्क को पंजीकृत डाक से प्रति भेजते हुए वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय को निम्नलिखित सूचना 30 दिन पहले भेजें:—

(1) तेल का प्रकार

(2) संविदा की तारीख और वास्तविक आयात

(3) मात्रा

(4) मूल्य और

(5) उद्गम

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं0 आई पी सी/4/5/(434)/92-97 से जारी]

ह/०

एन० एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं

पदेन अपर सचिव भारत सरकार

राजन सुदेश रत्न उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 28/1997-2002

New Delhi, the 12th December 1997

S.O. 866 (E):—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 4.1 of Export and Import Policy, 1997-2002, the Central Government hereby makes the following amendment in ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 1997-2002, published on 31st March, 1997 and as amended from time to time.

1. The following Import Licensing note shall be added at the end of Chapter 15:—

"(4) All edible oils which are presently freely importable under various Exim code headings shall be freely importable subject to the condition that the importer have to intimate in advance of 30 days indicating the following information to the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats with a copy to Customs by Registered post:—

(i) Type of oil;
(ii) date of contract and actual import;
(iii) quantity;
(iv) price; and
(v) origin.

This issues in public interest.

[Issued from File No. IPC/4/5/(434)/92-97]

Sd/-

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade
and Ex-offico Addl. Secy.
RAJAN SUDESH RATNA, Dy. Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997